

S.C.M.S.
2020/00074
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री...~~लाभचन्द~~...

हलका...~~भूक वडातठि~~...

पुत्र श्री...~~सुन्दराम~~... जाति...~~सुन्दर~~

निवासी...~~भूक वडातठि~~...

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं..68 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका... भूक वडातठि ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्... 2077 में मौजा... भूक वडातठि के खसरा नंबर... 27/3 रकबा... 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि... गो.मु. पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक... 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
	तहसीलदार/सिणधरी जिला-वाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगतीन झखिकारी रोजकीप कार्य हेतु जोधपुर पंचारे से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	लाभचन्द
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जा दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।	लाभचन्द
	तहसीलदार/सिणधरी जिला-वाड़मेर	

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु सागल गद्दा का दिनांक पत्रावली दिनांक 10-02-2021 का पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीतामन अधिकारी भाऊ उभुटी पर सिविल पदार्थ से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 का पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु अतिम अवसर दिनांक पत्रावली दिनांक 22-2-2021 का पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई विधि सम्मल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सागल को अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली फैसल सुनार है। निर्वाण अलग से लिखा जाकर इच्छित पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुनार होकर दायित्व इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर